

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/43/2018

प्रवेश तिथि
11-05-2018

निर्णय दिनांक
28-06-2018

01- रमेश पुत्र रामराहाय जाति मीना

02- कमल पुत्र भगवान जाति मीना निवासी नैथला पंचसाल, मालाखेडा जिला अलवर।

--: अपीलान्ट:

बनाम

01- तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

--: रैस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेडा
दिनांक 18.12.2017 अन्तर्गत धारा 91 गू
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 100/2017

उपस्थित:-

01-श्री रामवीर सिंह नरुका

--वकील अपीलान्ट

--:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 18.12.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नैथला की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 287 रकबा 0.70 है० में से 0.15 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजाय पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंडेंट को जर्जे सम्मन तब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नैथला की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 287 रकबा 0.70 है० में से 0.15 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 26.12.2017 में कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का नैथला द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। पत्रावली में दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28-06-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)